सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 27 जनवरी, 2021

आदेश

जबकि, देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, दिनांक 31.12.2020 तक की अवधि के लिए, दिनांक 25.11.2020 का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था, जिसे दिनांक 28.12.2020 के समसंख्यक आदेश के तहत 31.01.2021 तक की ओर अवधि तक बढ़ा दिया गया था;

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के दिशानिर्देशों के साथ एक आदेश जारी करने का निदेश दिया है;

अत: अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निर्देश देते हैं कि **निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी** के बारे में **संलग्न दिशानिर्देश**, 28.02.2021 तक लागू रहेंगे।

हस्ता0/-

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के बारे में दिशानिर्देश

[गृह मंत्रालय के दिनांक 27 जनवरी, 2021 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) के अनुसार]

पिछले चार माह से कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। तथापि, कोविड-19 के प्रसार को रोकने में हासिल हुए सतत लाभों में और मजबूत करने तथा इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह काबू पाने के उद्देश्य से सावधानी बरतने और निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति, जिसमें निगरानी, कंटेनमेंट और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने पर फोकस किया गया है, का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता है।

निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जो 01 फरवरी, 2021 से प्रभावी होंगे।

कोविड के बारे में उपयुक्त तौर-तरीके

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कोविड-19 के उपयुक्त तौर-तरीकों को बढ़ावा देने तथा फेस मास्क पहनने, हाथों को स्वच्छ रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करेंगी।
2. कोविड-19 की रोकथाम के बारे में **अनुलग्नक-I** में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में कड़ाई से पालन किया जाएगा।

निगरानी और कंटेनमेंट

3. जिला प्राधिकारियों द्वारा माइक्रो स्तर पर कंटेनमेंट जोनों, यदि आवश्यक हों, का सावधानीपूर्वक सीमांकन इस बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सीमांकित कंटेनमेंट जोनों के भीतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका प्राधिकारियों की होगी कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी।

निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना

5. कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। तथापि, निम्नलिखित गतिविधियां नीचे दर्शाई गई एसओपी का कड़ाई से पालन किए जाने के अध्यधीन होंगी :

i. सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक संभाए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एसओपी के अध्यधीन।

ii. सिनेमा हॉल्स और थियेटर्स, गृह मंत्रालय के परामर्श से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अध्यधीन।

iii. स्विमिंग पूल्स, गृह मंत्रालय के परामर्श से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अध्यधीन।

iv. प्रदर्शनी हॉल्स, गृह मंत्रालय के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अध्यधीन ।

6. यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को और खोलने के लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से नागर विमानन मंत्रालय निर्णय ले सकता है।

7. विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-समय पर अद्यतन की गईं मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों द्वारा आवागमन; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनें; स्कूल; उच्चतर शिक्षण संस्थान; होटल और रेस्टॉरेंट; शॉपिंग माल्स, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क; योगा सेंटर तथा व्यायामशालाएं; आदि। इन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से लागू किया जाएगा जो उनके सख्ती से पालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्थानीय प्रतिबंध

8. राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत, सीमा पार व्यापार भी शामिल है। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट आवश्यक नहीं होगा।

कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा

9. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

10. कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु का प्रयोग सर्वोत्तम प्रयास के रूप में जारी रखा जा सकता है। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी।

दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना

11. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती हैं।

12. इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू, अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। इन दंडात्मक प्रावधानों के उद्धरण **अनुलग्नक II** में दिए गए हैं।

हस्ता0/-
केन्द्रीय गृह सचिव
एवं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

अनुलग्नक-।

कोविड 19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

1. **फेस कवर करना:** सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
2. **सोशल डिस्टेंसिंग बनाना:** व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त दूरी रखी जाएगी।
   दुकानों में ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

3. **सार्वजनिक स्थानों पर थूकना**, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।

कार्यस्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश

4. **कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
5. **स्क्रीनिंग और स्वच्छता:** सभी प्रवेश स्थलों में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने या सेनिटाइजर तथा निकास स्थलों और कॉमन एरिया में हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
6. **बार-बार सेनिटाइजेशन:** समस्त कार्यस्थल, जन सुविधास्थलों और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।
7. **सोशल डिस्टेंसिंग:** कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

*****

अनुलग्नक II

लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का अपराध करने पर दंड

क. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड.- जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,

क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

ख. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा;

वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसी बाधा या निर्देश का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड.- जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

53 धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड.- जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति, या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड.- जो कोई, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के सम्बन्ध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी

देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसेअपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौन सहमति.- ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई लिए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध

उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

क. "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

ख. फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत उस फर्म के भागीदार से है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी.- धारा 55 और 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी अदालत, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी केस हो; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत या अधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

ख. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188

188. लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा.— जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के

लिए या अपने कब्जे में, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा; यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की रिस्क कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

दृष्टांत

ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी लोक सेवक द्वारा यह निदेश देते हुए एक आदेश प्रख्यापित किया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सड़क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।

*****